न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राकेश कुमार शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 20/2017

अपीलांट– *बनाम* **रेस्पोडेंट्स –**

अपीलांट–

1. सुमार पुत्र वली
2. खमीशा पुत्र वली
3. बहादुर पुत्र वली
4. लाला पुत्र वली
5. मुस्मात समानी बेवा वली

जाति मुसलमान निवासी ओनाड़ा तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंट्स –

1. फोटा पुत्र चिनेसर
2. हसण पुत्र चिनेसर
3. मुस्मात राहमत बेवा चिनेसर
4. धोधा पुत्र मल्हार जाति मुसलमान निवासी ओनाड़ा तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर
5. शाखा प्रबंधक बीसीसीबी शाखा गडरारोड़
6. शाखा प्रबंधक एसबीबीजे शाखा गडरारोड़
7. तहसीलदार गडरारोड़

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 25.10.2001 जो तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री बांकाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री अम्बालाल जोशी, श्री कुमार कोशल जोशी अधिवक्तागण रेस्पो0 सं0 01 से 03 की ओर से उपस्थित।
3. श्री कैलाश एन सारण, अधिवक्ता सं. 04 की ओर से उपस्थित।
4. राजकीय पैरोकार, रेस्पोडेंट सं. 7 की ओर से उपस्थित।
5. रेस्पोडेन्ट सं. 05 व 06 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 01/10/2019

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार गडरारोड़ के द्वारा मौजा ओनाड़ा व बाण्डासर के खसरा नम्बर 316, 295, 296, 453 व 470 रकबा क्रमशः 28–07, 142–12, 69–08, 38–13 व 119–03 बीघा कुल रकबा 398–03 बीघा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 25.10.2001 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.03.2017 को प्रस्तुत की गई है

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

2. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा पक्षकारान की खातेदारी भूमि के विभाजन पत्र स्वीकृति आदेश दिनांक 25.10.2001 राजस्व अभियान के दौरान बिना भौतिक जांच एवं पैमाईश पारित करने मे विधिक भूल की गई हैं। पक्षकारान की खोतदारान भूमि के विभाजन में भूमि की उर्वरा स्थिति एवं पक्षकारान के कब्जे को अनदेखा किया गया। पक्षकारान अनपढ़ होने के कारण अपने अंगुष्ठ निशान अंकित कर हल्का पटवारी द्वारा बताये अनुसार सहमती दी गई किन्तु उत्तरदाता सं. 01 से 04 के मध्य हुए बाहमी बंटवारा अनुसार प्रस्ताव व मौका नक्शा तैयार नहीं किया गया जिसके कारण अपीलांट्स की ढ़ाणियॉ, बाड़े आदि उत्तरदातागण के कब्जे में चले गये। वादग्रस्त समस्त खसरो में अपीलाट्स के पिता वली का 1/3 हिस्सा, उत्तरदाता सं. 01 से 03 के पिता चिनेसर का 1/3 हिस्सा व उत्तरदाता सं. 04 का भी 1/3 हिस्सा बराबर खातेदारी का था तथा इसी अनुसार सभी खसरो में बराबर–बराबर भूमि हिस्से में दी जाकर विभाजन किया जाना था किन्तु रेस्पोडेन्ट सं. 01 से 03 के पिता चिनेसर ने उपजाउ व समतल भूमि खसरा नम्बर 295 में हिस्सा 1/3 के स्थान पर 104–12 बीघा भूमि रखते हुए शेष भूमि अपीलांट्स व उत्तरदाता सं. 04 को दी गई तथा खसरा नम्बर 296 धोरे वाली भूमि अकेले अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स सं. 04 को दी गई। इस धोरे वाली भूमी में से रेस्पोडेन्ट्स सं. 01 से 03 के पिता द्वारा अपने हिस्से में कुछ भी नहीं रखी। इस प्रकार उक्त बंटवारा आदेश विधिसम्मत् नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

3. अपीलाट्स के योग्य अधिवक्ता द्वारा अपील में मयाद बिन्दु पर निवेदन किया कि उत्तरदातागण में अपीलाट्स को पूर्व में मौखिक बंटवारा अनुसार कब्जा हटाने हेतु कहा जिस पर कारण पूछने पर बताया कि आपके कब्जे काश्त वाली भूमि बंटवारे में हमें प्राप्त हुई है जिसका कब्जा खाली करना पड़ेगा। इस पर अपीलांट्स में अपीलाधीन आदेश की नकल मांगी, जो दिनांक 03.02.2017 को प्राप्त होने पर सम्यक् तत्परता के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है। अज्ञानतावश सदभाविक रूप से हुए विलम्ब को क्षमा कर उल्लेखित कारणों पर यह अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

आदेश निरस्त कर पैतृक भूमि का माफिक हिस्सा एवं मौके पर कब्जा काश्त अनुसार नये सिरे से विभाजन करने हेतु आदेश फरमावें।

4. रेस्पोडेन्ट्स सं. 01 से 03 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने जवाब मे प्रकट किया कि अपीलांट व रेस्पोडेंन्ट्स ने आपसी सहमती से करवाए गये बंटवाड़े के अनुसार वादग्रस्त भूमि की अलग–अलग तरमीम की जा चुकी है जिसका नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम अंकन हो गया है तथा मौके पर पक्षकारान का इसी अनुसार कब्जा काश्त वक्त सैटलमेंट से आपसी सहमति से बाहमी तौर पर किये गये बंटवाड़ा अनुसार है। अपीलांट द्वारा विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार गडरारोड़ के समक्ष प्रस्तुतीकरण के दौरान कोई उजर–ऐतराज नहीं किया गया जबकि अपीलांट को विभाजन की प्रारम्भ से ही जानकारी थी। अपीलाधीन आदेश एवं उसके आधार पर की गई तरमीम के पश्चात् 17 वर्ष के असाधारण विलम्ब के बाद मौके की स्थिति के बारे में विवाद करना सर्वथा अर्थहीन है एवं यह न्यायिक प्रक्रिया का दुराशय पूर्वक दुरूपयोग मात्र है। मयाद के बिन्दु पर यह भी निवेदन किया कि अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश का ज्ञान तद्समय अर्थात 2001 से ही है, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील मयाद बाहर है। अपीलांट्स ने इस अपील से पूर्व इसी विषय वस्तु का राजस्व वाद संख्या 125/2016 अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् सहायक कलक्टर शिव के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो अभी विचाराधीन है। इस प्रकार अपीलांट्स द्वारा साबित रूप से यह अपील मनगढ़त एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत यह अपील पेश की गई है जो मयाद बाहर है तथा विलम्ब का सत्य कारण प्रकट नहीं किया गया है, ऐसे में प्रस्तुत अपील सव्यय खारिज फरमाई जावे।

5. हमने अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेखों का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा ओनाड़ा व बाण्डासर के खसरा नम्बर 316, 295, 296, 453 व 470 रकबा क्रमशः 28–07, 142–12, 69–08, 38–13 व 119–03 बीघा कुल रकबा 398–03 बीघा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 25.10.2001 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.03.2017 को प्रस्तुत की गई है। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि का विभाजन पक्षकारान के हिस्सा एवं कब्जानुसार नहीं किया गया जिससे गलत तरमीम के कारण अपीलांट्स की ढ़ाणियॉ रेस्पोडेन्ट्स की खातेदारी में आ गई है एवं मौके कब्जे का विवाद हो गया है व अपीलांट को अपने हिस्से अनुसार प्रत्येक खसरा बराबर–बराबर भूमि विभाजन में नहीं ली

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

गई हैं। इसके जवाब में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त पक्षकारान की उपस्थिति एवं उनकी सम्पूर्ण सहमति से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया है, जिसकी जानकारी उसी दिन अपीलांट को हो गई थी। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा अपील के प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब के सम्बन्ध मे गलत तथ्य प्रस्तुत किया है जबकि अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट की उपस्थिति मे ही पारित किया गया है। इसके बाद अपीलांट द्वारा इस अपील से पूर्व इसी विषय वस्तु का राजस्व वाद संख्या 125/2016 अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् सहायक कलक्टर शिव के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो अभी विचाराधीन है। इस प्रकार विभाजन की जानकारी अपीलांट को हो गई थी इसके बावजूद भी न्यायालय के समक्ष उक्त विभाजन की जानकारी दिनांक 03.02.2017 को होने का सरासर गलत तथ्य प्रस्तुत किया है। इस प्रकार स्पष्ट हैं कि अपीलांट न्यायालय के समक्ष साफ हाथों एवं स्वच्छ मानसिकता से नहीं आया है तथा गलत तथ्य प्रकट कर न्यायालय को गुमराह किया जा रहा हैं, ऐसे मे अपीलांट न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही हैं। लिहाजा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजों के आधार पर अभिलेखीय तौर पर ही अपील मयाद बाहर है तथा विलम्ब का प्रस्तुत कारण गलत प्रकट किया है, साथ ही सहमति से कराये गये विभाजन के विरूद्ध अपील विचारण योग्य भी प्रतीत नही होती है। इस प्रकार अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने के साथ ही मयाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर अधारित होने एवं मयाद बाहर होने से खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.10.2001 को यथावत बहाल रखा जाता हैं।

7. आदेश आज दिनांक 01.10.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राकेश कुमार शर्मा)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)